

कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, भदोही।

पत्रांक C-2248 / जि0का0अधि0 / चयन विज्ञप्ति / 2025-26 / दिनांक 12 नवम्बर 2025

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 1/1092245/2025/3318/58-1-2025 (1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद भदोही के शहरी/ग्रामीणों परियोजनाओं में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में रिक्त सहायिकाओं के पदों को भरे जाने हेतु मानदेय/संविदा पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से की जानी है जिसके लिये आवेदिकाएं (महिला) अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट <http://upaganwadibharti.in> पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण विकास खण्ड/परियोजनावार निम्नवत् है:-

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	आंगनवाड़ी सहायिकाओं के कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण			
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित
1	औराई	60	13	0	15	32
2	ज्ञानपुर	70	14	0	20	36
3	डीघ	49	13	0	17	19
4	अभोली	46	13	0	16	17
5	सुरियावां	36	6	0	8	22
6	भदोही शहर	15	3	0	2	10
7	भदोही ग्रामीण	93	16	0	24	53
योग:-		369	78	0	102	189

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश:-

1. विज्ञप्ति में प्रकाशित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी।
2. आंगनवाड़ी सहायिका के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी, अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।
3. आंगनवाड़ी सहायिका पद हेतु आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 01.07.2025 को आधार मानकर की जायेगी तथा आयु के संबंध में हाईस्कूल अंकपत्र/प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी।
4. आवेदिका को उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) का निवासी होना अनिवार्य है, जहाँ के लिये वह आवेदन कर रही है।
5. आंगनवाड़ी सहायिका के चयन में सर्व प्रथम गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा /विधिक तलाकशुदा एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिला को वरीयता दी जाएगी।
6. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली अभ्यर्थियों के न मिलने पर क्रमानुसार गरीबी रेखा के उपर जीवन यापन करने वाली आवेदिका का चयन किया जायेगा।
7. आय प्रमाण पत्र के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1-9-11-स0-9 दिनांक 30.09.2021 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। जिनका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो।
8. निवास एवं जाति प्रमाण पत्र के संबंध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास एवं जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिसका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो।
9. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट <http://upaganwadibharti.in> पर उपलब्ध फॉर्मेट पर ऑनलाइन व सही-सही सावधानीपूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेंगी, जिसका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म पर किया गया हो किसी भी दशा में आफलाइन कोई भी प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा।

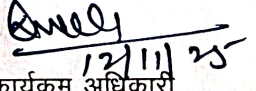
10. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 05.12.2025 होगी।
 11. रिक्त पदों के विवरण के संबंध में केन्द्रवार संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
 12. रिक्त पदों का विस्तृत विवरण जिला कार्यक्रम अधिकारी/संबंधित खण्ड विकास अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय की नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी जिसका विवरण विभागीय वेबसाइट <http://upaganwadibharti.in> पर भी देखा जा सकता है।
- नोट:- रिक्तियों के संबंध में यदि कोई त्रुटि होगी तो चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा।

(दिनेश कुमार मिश्र)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
भदोही।

पृ० पत्र ८-२२५९ / तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ० प्र० लखनऊ
2. जिलाधिकारी महोदय भदोही।
3. मुख्य विकास अधिकारी/अध्यक्ष चयन समिति जनपद भदोही।
4. समस्त सम्मानित सदस्य चयन समिति।
5. जिला सूचना अधिकारी, भदोही को इस अनुरोध के साथ कि इस विज्ञप्ति को दैनिक पढ़े जाने वाले किसी राज्य स्तरीय/एक स्थानीय समाचार पत्र के आगामी अंक में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि रिक्तियों का विवरण विभिन्न कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें।
7. कार्यालय प्रति।


जिला कार्यक्रम अधिकारी,
भदोही।